[2019] 4 एस. सी. आर 409

पीआर। आय कर आयुक्त, शिमला

वी.

एम/एस। आरहम सॉफ़्ट्रोनिक्स

(2019 की सिविल अपील संख्या 1784)

फरवरी 20,2019

[ए. के. सिकरी, एस. अब्दुल नजीर और एम. आर. शाह, जे. जे.]

आयकर अधिनियम, 1961-एस. 80 - आई ए, 80-आई बी, 80-आई सी-'प्रारंभिक

निर्धारण वर्ष 'यू/एस। 80 - आईसी-यू/एस। 80 - आईसी एक उपक्रम या उद्यम,

कुछ विशेष श्रेणी वाले राज्यों में, जिन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ, उसमें निर्दिष्ट क्षेत्र में एक नया कारखाना स्थापित करके किसी वस्तु या चीज़ का निर्माण या उत्पादन शुरू किया है, उन्हें लाभ और लाभ से कटौती की अनुमति है। (3) एस. 80 - आईसी-उप-एस। (3) एस. 80 - आई. सी. अन्य बातों के साथ कहता है कि उपक्रमों या उद्यमों की एक श्रेणी

(वर्तमान मामले इस श्रेणी से संबंधित हैं) छूट की अनुमति है @ 100 % शुरू होने वाले पाँच निर्धारण वर्षों के लिए लाभ और लाभ

प्रारंभिक निर्धारण वर्ष और अगले पांच वर्षों के लिए लाभ और लाभ के 25 प्रतिशत के साथ, इस प्रकार कुल 10 वर्षों के लिए कटौती-मौजूदा इकाइयों को भी कटौती प्रदान की गई थी यदि उनका पर्याप्त विस्तार किया गया था-मूल्यांकनकर्ताओं ने नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की और 5 वर्षों के लिए 100% कटौती का लाभ उठाया और इसे पूरा करने के बाद

" पर्याप्त विस्तार "दावा की गई कटौती @100% अगले 5 वर्षों के लिए 25 प्रतिशत के बजाय-यदि हकदार है-उच्च न्यायालय ने जवाब दिया

सकारात्मक-आयोजितः उप-सेक। (6) एस. 80 - आईसी 10 साल की सीमा रखता है,

जो अधिकतम अवधि है जिसके लिए इस धारा के तहत किसी भी उपक्रम या उद्यम को कटौती की अनुमति दी जा सकती है,

प्रारंभिक निर्धारण वर्ष-उप-धारा का खंड (v)। (8) एस. 80 - आई. सी. इस उद्देश्य के लिए 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' की परिभाषा प्रदान करता है -

यह वही खंड, i.e.s.80-IC-इस परिभाषा के अनुसार, हो सकता है

' प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष ', पिछले वर्ष के लिए प्रासंगिक, किसी भी में

निम्नलिखित आकस्मिकताएँः (i) पिछला वर्ष जिसमें उपक्रम या उद्यम वस्तु या वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन शुरू करता है; या (ii) पर्याप्त विस्तार पूरा करता है-इस प्रकार, एस का लाभ। 80 - आईसी न केवल तब स्वीकार्य है जब कोई उपक्रम या उद्यम नई इकाई स्थापित करता है और वस्तु या चीजों का निर्माण या उत्पादन शुरू करता है, बल्कि उन मौजूदा इकाइयों को भी अर्जित किया जाता है, यदि वे

आवश्यक निवेश करके अपनी इकाइयों का "पर्याप्त विस्तार" करना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पूंजी, पिछले वर्ष के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष में-इस प्रकार, उप-धारा के खंड (v) में निहित 'प्रारंभिक निर्धारण वर्ष' की परिभाषा। (8) एस. 80 - आईसी एक ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जहां 10 साल की अवधि के भीतर एक से अधिक "प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष" हो सकते हैं।

क्लासिक बाइंडिंग इंडस्ट्रीज में निर्णय में कहा गया है कि 10 साल की अवधि के भीतर दो मूल्यांकन वर्ष नहीं हो सकते हैं। (6) एस. 80 - आई. सी. सही कानून निर्धारित नहीं करता है-कोई कारण नहीं है कि उन लोगों को भी लाभ और लाभ की कटौती की अनुमति क्यों नहीं दी जाए

जिन इकाइयों ने एक नई इकाई स्थापित करने पर इस कटौती का लाभ उठाया और

अब उन इकाइयों के पर्याप्त विस्तार के साथ बड़ी राशि का निवेश किया।

आयकर अधिनियम, 1961-एस. 80 - आई. बी. (14) और 80-आई. सी. आयोजितः एस. 80 - आई. बी. (14) इस धारा के उद्देश्य के लिए शब्दों से शुरू होता है 'इस प्रकार, उसमें परिभाषित' प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष 'केवल उन कटौती से संबंधित है जो धाराओं के प्रावधानों के तहत प्रदान की जाती हैं। 80 - आई. बी. - s. 80-IB भौतिक रूप से s से अलग है। 80 - आईसी।

आय कर अधिनियम, 1961। 80 - आईसी-का उद्देश्य-समझाया गया।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-आई. सी. की उप-धारा (2) एक ऐसे उपक्रम या उद्यम पर लागू होती है जिसके अंतर्गत,

अन्य रूप से, उसमें निर्दिष्ट क्षेत्र में एक नया कारखाना स्थापित करके किसी भी वस्तु या चीज़ का निर्माण या उत्पादन शुरू किया या शुरू किया

जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्य भी शामिल है। धारा 80-आई. सी. की उप-धारा (3) में अन्य बातों के साथ कहा गया है कि उपक्रमों या उद्यमों की एक श्रेणी (वर्तमान मामले) उसी से संबंधित हैं।

श्रेणी) जहाँ छूट प्रारंभिक से शुरू होने वाले पाँच मूल्यांकन वर्षों के लिए लाभ और लाभ की 100% की दर पर है।

निर्धारण वर्ष और उसके बाद, लाभ और लाभ का 25 प्रतिशत। इस प्रकार, कुल छूट 10 वर्षों की अवधि के लिए है, अर्थात् पहले पांच वर्षों के लिए @100% और शेष पांच वर्षों के लिए @25 प्रतिशत। धारा 80-आईसी के प्रावधानों ने विनिर्माण इकाइयों को कटौती प्रदान की यह सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल और पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित है। कटौती नए को प्रदान की गई थी

उपरोक्त राज्यों में स्थापित इकाइयाँ, और उन राज्यों में मौजूदा इकाइयों के लिए भी यदि पर्याप्त विस्तार किया गया था।

[पैरा 8,9] [417-एफ-एच; 418-ए, बी; 421-डी, ई]

1.2 उप-धारा (3) में 10 वर्ष की अवधि का उल्लेख है।

प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष से शुरू करना। उप-धारा (6) पी. आर. लगाती है।

10 वर्ष की सीमा, जो प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से शुरू होने वाली अधिकतम अवधि है जिसके लिए इस धारा के तहत किसी भी उपक्रम या उद्यम को कटौती की अनुमति दी जा सकती है। उप-धारा (3) के तहत एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से शुरू होने वाले पांच मूल्यांकन वर्षों के लिए किसी उपक्रम या उद्यम से होने वाले ऐसे लाभों और लाभों की मान्य कटौती है और उसके बाद लाभ और लाभों की 25 प्रतिशत (या 30 प्रतिशत जहां निर्धारिती एक कंपनी है) पर कटौती स्वीकार्य है। [पैरा 10] [422-ए, बी]

अधिनियम की धारा 80-आईबी (14) (सी) को संदर्भित किया गया है, जिसके आधार पर एक राय बनाई गई थी कि एक और 'प्रारंभिक' नहीं हो सकती है। धारा 80-आई. सी. के प्रयोजन के लिए 10 वर्ष की उपरोक्त अवधि के भीतर निर्धारण वर्ष। यह स्पष्ट त्रुटि है जो

प्रतिबद्ध था। धारा 80-आई. बी. (14) इस धारा के उद्देश्य के लिए शब्दों से शुरू होती है। इस प्रकार, उसमें परिभाषित 'प्रारंभिक निर्धारण वर्ष' केवल उन कटौतीओं से संबंधित है जो धारा 80-आईबी के प्रावधानों के तहत प्रदान की जाती हैं, अर्थात् इसके अलावा कुछ अन्य औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और लाभ के संबंध में।

धारा 80-आई. सी. में उल्लिखित उपक्रम, सभी उद्यम धारा 80-आई. बी. के विपरीत सीमित हैं, इस धारा के तहत कटौती केवल तभी उपलब्ध है जब ऐसे उपक्रम या उद्यम ये विशेष राज्यों, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल या किसी भी पूर्वोत्तर राज्य में स्थापित हैं। इसके अलावा, धारा 80-आई. सी. की उप धारा (3) में उस कटौती का उल्लेख किया गया है जो अनुमेय है, अर्थात् लाभ और लाभ की 100% कटौती।

अगले पाँच वर्षों के लिए 25 प्रतिशत (या 30 प्रतिशत जहां निर्धारिती एक कंपनी है)। यह उप-धारा, किसी भी मामले में, 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' से संबंधित नहीं है। धारा 80-आईसी की उप-धारा (8) का खंड (वी) संबंधित प्रावधान है जो [2019] 4 एस. सी. आर. प्रदान करता है।

इस उद्देश्य के लिए 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' की परिभाषा धारा, अर्थात धारा 80-आईसी, जिस पर आयकर आयुक्त बनाम आयकर आयुक्त बनाम आयकर आयुक्त बनाम

आय कर आयुक्त, शिमला बनाम। एम/एस। आरहम सॉफ़्ट्रोनिक्स

वर्ष और 10 वर्षों की समाप्ति से पहले, निर्धारिती ने उपरोक्त के संदर्भ में अपनी इकाइयों का पर्याप्त विस्तार किया था। परिभाषा। उक्त परिभाषा में उल्लिखित शर्त की पूर्ति पर एक और 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' हो सकता है, अर्थात् मौजूदा इकाई के पर्याप्त विस्तार का पूरा होना।

[पैरा 16,17] [424-एफ-एच; 425-ए, सी-ई]

1.5 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' की परिभाषा में निहित है -

धारा 80-आईसी की उप-धारा (8) के खंड (वी) से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां इसके भीतर एक से अधिक "प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष" हो सकते हैं।

10 वर्ष की उक्त अवधि। उप-धारा (6) के अनुसार, सीमा 10 मूल्यांकन वर्षों पर है। यह क्वांटम पर नहीं है। के लिए उद्देश्य जो धारा 80-आईसी निर्दिष्ट राज्यों में उक्त प्रावधान में निर्दिष्ट प्रकृति के व्यवसाय को स्थापित करने के लिए अधिनियमित की गई थी। इस प्रकार, इस प्रावधान का उद्देश्य उपक्रमों या उद्यमों को उपरोक्त राज्यों में ऐसी इकाइयों की स्थापना और उन्हें औद्योगिक रूप से उन्नत राज्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना था।

निस्संदेह, ये कठिन राज्य हैं क्योंकि इनमें से अधिकांश राज्य आते हैं।

पहाड़ी क्षेत्रों में। इसलिए, उत्पादन और परिवहन की लागत भी बढ़ सकती है। [पैरा 19] [426-डी-एफ] 1.6 जब इन उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है जिनके लिए धारा 80-आई. सी. लागू की गई थी, तो एक अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह होगाः

उस वर्ष से भी जब मौजूदा इकाई में पर्याप्त विस्तार हो रहा हो, लाभ और लाभ की कटौती 100% प्रदान करें। आखिरकार, इस पर्याप्त विस्तार में बहुत अधिक निवेश शामिल है जो किसी भी वर्ष में मूल्यह्रास लेने से पहले संयंत्र और मशीनरी में उसके बही मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए। इस तरह की प्रकृति के विस्तार के साथ न केवल वृद्धि होगी

उत्पादन के साथ-साथ अधिक रोजगार का सृजन, जिससे स्थानीय जनता को लाभ होगा। इस कारण से, ले जा रहा है

पर्याप्त विस्तार को अपने आप में 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' माना जाता है। इसका मतलब यह होगा कि जब कोई पुरानी इकाई पर्याप्त विस्तार पूरी कर लेती है, तब भी ऐसी इकाई धारा 80-आईसी का लाभ उठाने की हकदार हो जाती है। अगर यही उद्देश्य है

विधायिका, कोई कारण नहीं है कि क्यों 100% की कटौती उन इकाइयों को भी लाभ और लाभ की अनुमति नहीं दी जाएगी जिन्होंने एक नई इकाई की स्थापना पर इस कटौती का लाभ उठाया था और अब उन इकाइयों के पर्याप्त विस्तार के साथ बड़ी राशि का निवेश किया है। यह इंगित करना उचित होगा कि निर्णय [2019] 4 एस. सी. आर. के पैरा 20 में।

क्लासिक बाइंडिंग इंडस्ट्रीज में, इस न्यायालय ने कहा कि यदि 10 वर्षों की पूरी अवधि के लिए @100% की कटौती की जाती है, तो यह धारा 80 आईसी की उप-धारा (6) की भाषा के साथ हिंसा करना होगा। हालाँकि, यह अवलोकन ध्यान दिए बिना आया

उसी में निहित 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' की परिभाषा

प्रावधान। [पैरा 20,22] [426-एफ-एच; 427-ए, बी; 431-बी, सी]

1.7 उपरोक्त चर्चा से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं -

निष्कर्ष निकालनाः

(क) क्लासिक बाइंडिंग इंडस्ट्रीज मामले में 20 अगस्त, 2018 के फैसले को 'प्रारंभिक' परिभाषा पर ध्यान देने के लिए हटा दिया गया। निर्धारण वर्ष 'धारा 80-आई. सी. में ही निहित है और इसके बजाय इसका निष्कर्ष धारा 80 आई. बी. में निहित परिभाषा पर आधारित है, जो इन मामलों में लागू नहीं होती है। दो खंडों में 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' की परिभाषाएँ। धारा 80-आईबी और 80 आईसी भौतिक रूप से अलग हैं। धारा 80-आईसी के तहत 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' की परिभाषा ने सभी बदलाव किए हैं। इसलिए, हमारी राय है कि उपरोक्त निर्णय उचित नहीं है।

सही कानून का पालन करें।

(बी) एक उपक्रम या उद्यम जिसने हिमाचल प्रदेश राज्य में 7 जनवरी, 2003 और 1 अप्रैल, 2012 के बीच धारा 80-आईसी की उप धारा (2) के खंड (ii) में उल्लिखित प्रकृति की एक नई इकाई स्थापित की थी, वह 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' से शुरू होने वाले पांच मूल्यांकन वर्षों के लिए लाभ और लाभ की 100% की दर से कटौती का हकदार होगा। इसके लिए

अगले पाँच वर्षों में, लाभ और लाभ की स्वीकार्य कटौती 25 प्रतिशत (या 30 प्रतिशत जहां निर्धारिती एक कंपनी है) होगी।

(ग) तथापि, यदि धारा 80-आईसी की उप-धारा (8) के खंड (ix) में परिभाषित पर्याप्त विस्तार ऐसे उपक्रम या उद्यम द्वारा किया जाता है, तो उपर्युक्त अवधि के भीतर - 10 वर्ष, उक्त पिछला वर्ष जिसमें पर्याप्त विस्तार हुआ

शुरू किया गया कार्य 'प्रारंभिक निर्धारण वर्ष' बन जाएगा और उस निर्धारण वर्ष से निर्धारिती लाभ और लाभ की 100% कटौती का हकदार होगा।

(घ) तथापि, ऐसी कटौती कुल 10 वर्ष की अवधि के लिए होगी, जैसा कि उप-धारा (6) में उपबंध किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि

पहले पीआर के पूरा होने पर तुरंत विस्तार किया जाता है।

आय कर आयुक्त, शिमला बनाम। एम/एस। आरहम सॉफ़्ट्रोनिक्स

पाँच साल में, निर्धारिती 100% कटौती का हकदार होगा।

अगले पाँच वर्षों के लिए फिर से। दूसरी ओर, यदि पर्याप्त विस्तार किया जाता है, मान लीजिए कि किसी निर्धारिती द्वारा 8 वें वर्ष में ऐसा निर्धारिती पहले पांच वर्षों के लिए 100% कटौती का हकदार होगा, अगले दो वर्षों के लिए लाभ और लाभ का 25 प्रतिशत और फिर से 8 वें वर्ष से 100% कटौती का हकदार होगा क्योंकि यह वर्ष एक बार फिर 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' बन जाता है। हालाँकि, यह 100% कटौती

यह शेष तीन वर्षों यानी 8 वीं, 9 वीं और 10 वीं मूल्यांकन वर्षों के लिए होगा। [पैरा 24] [431-एफ-एच; 432-ए-एफ]

आय कर आयुक्त v. एम/एस। शास्त्रीय बंधन

उद्योग (2018) 9 एस. सी. सी. 753-सही कानून नहीं माना गया।

सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम। दिलीप

कुमार एंड कंपनी एंड अदर (2018) 9 एस. सी. सी. 1:

[2018] 7 एस. सी. आर. 1191-अनुसरण किया गया।

महाबीर इंडस्ट्रीज बनाम। के प्रधान आयुक्त आयकर सिविल अपील सं। 4765-4766 2018 का

18 मई, 2018 को निर्णय लिया गया-- संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2018) 9 एस. सी. सी. 753

सही नहीं माना गया कानून पैरा 13

[2018] 7 एससीआर 1191

पीछा किया।

पै

रा 20

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1784

2019 का

उच्च न्यायालय के 26.02.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2015 के आई. टी. ए. सं. 25 में हिमाचल प्रदेश, शिमला का न्यायालय

के साथ

सिविल अपील सं। 1785 , 1786 , 1787 , 1788 , 1789 , 1790 , 1797 , 1796 ,

1795 , 1798 , 2019 का, विविध। 2018 की सिविल अपील संख्या 7217 में 2018 की आवेदन संख्या 2840, विविध। 2018 की सिविल अपील संख्या 7218 में 2018 की आवेदन संख्या 2880, विविध। 2018 की सिविल अपील संख्या 7221 में 2018 का आवेदन संख्या 2841, विविध। 2018 की सिविल अपील संख्या 7223 में 2018 का आवेदन संख्या 2976, विविध। 2018 की सिविल अपील संख्या 7215 में 2018 की आवेदन संख्या 2850, विविध। 2018 की सिविल अपील संख्या 7236 में 2018 की आवेदन संख्या 2852, विविध। 2018 की सिविल अपील संख्या 7222 में 2018 की आवेदन संख्या 2879।

9] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए. एन. एस. नाडकर्णी, ए. एस. जी., के. राधाकृष्णन, मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल, अरविंद पी. दातार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एच. राघवेंद्र राव, अरिजीत प्रसाद,

ए. के. श्रीवास्तव, श्रीमती अनिल कटियार, जय सावला, समीर रोहतगी, सुश्री रेणुका साहू, जसदीप सिंह ढिल्लों, प्रभात कुमार चौरसिया, दुष्यंत तिवारी, रोहित कौरा, अनीश आर. शाह, पुनीत जैन, सुश्री क्रिस्टी जैन, अभिनव गुप्ता, हर्ष जैन, सुश्री अंकिता गुप्ता, अभिनव देशवाल, आर. जवाहर लाल, सिद्धार्थ बावा, श्यामल आनंद, मायांकशीर सागर,

बालाजी श्रीनिवासन, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

ए. के. सिकरी, जे. एसएलपी (सी) संख्या। 23172 2018 का 23176,2018 का 23179,2018 का 24678,2018 का 23414,2018 का 24679,2019 का 2296,

1983 2019 का 3278,2019 का 4483:

1. छुट्टी दे दी गई।

2. इन अपीलों की उत्पत्ति का पता हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपीलों के एक समूह में दिए गए 28 नवंबर, 2017 के फैसले से लगाया जा सकता है। उक्त निर्णय के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने कई मुद्दों पर निर्णय लिया। तथापि, इन कार्यवाहियों में हम कानून के केवल एक प्रश्न से संबंधित हैं जो निम्नलिखित शब्दों में तैयार किया गया हैः

" क्या एक निर्धारिती जो एक तरह का नया उद्योग स्थापित करता है

अधिनियम की धारा 80-आईसी की उप-धारा (2) में उल्लिखित और धारा 80-आईसी (जो पांच साल के लिए स्वीकार्य है) की उप-धारा (3) के तहत 100 प्रतिशत कर की छूट का लाभ उठाना शुरू कर सकते हैं।

पाँच की अवधि के बाद 100% की समान दर पर छूट

वर्ष इस आधार पर कि निर्धारिती ने अब निष्पादित किया है

इसकी विनिर्माण इकाई में पर्याप्त विस्तार?

3. उच्च न्यायालय ने उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप में दिया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि जब निर्धारिती ने इसका लाभ उठाना शुरू किया

धारा 80 आई. सी. की उप-धारा (2) में उल्लिखित प्रकार के नए उद्योग की स्थापना पर कर से छूट, जो 5 वर्षों के लिए स्वीकार्य है, और या तो 5 वर्षों की समाप्ति पर या उसके बाद (लेकिन 10 वर्षों के भीतर)

वर्ष) उस तारीख से जब इन निर्धारिती ने छूट का लाभ उठाना शुरू किया, उन्होंने इसके उद्योग का पर्याप्त विस्तार किया, उस वर्ष से निर्धारिती फिर से छूट का दावा करने के हकदार हो जाते हैं।

4. आयकर विभाग (जिसे इसके बाद 'राजस्व' के रूप में संदर्भित किया गया है) ने पीआर पर उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी।

उन विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति दिए जाने के बाद अपील में परिवर्तित की गई विशेष अनुमति याचिकाओं की संख्या दायर करके उपरोक्त मुद्दा जारी किया गया। इसके बाद, इन अपीलों की सुनवाई की गई और इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा निर्णय लिया गया, जिसमें हम में से एक (ए. के. सीकरी, जे.) शामिल थे। 20 अगस्त, 2018 के अपने फैसले के अनुसार। उपरोक्त मुद्दे पर उच्च न्यायालय के फैसले को उलट दिया गया।

5. ऐसा हुआ कि कुछ अपीलों में, निर्धारिती जो प्रतिवादी थे, उन्हें नोटिस नहीं दिया गया और वे गैर-प्रतिनिधित्व में रहे। चूंकि इन कर निर्धारकों के संबंध में अपीलों का निर्णय उनकी अनुपस्थिति में किया गया था, इसलिए उन्होंने आदेश को वापस लेने के लिए विविध आवेदन दायर किए, जिसमें उन्हें सुनवाई के बाद अपीलों पर नए सिरे से निर्णय लेने की प्रार्थना की गई। चूंकि, ये निर्धारिती गैर-प्रतिनिधित्व में रहे, क्योंकि उन्हें नोटिस भी नहीं दिया गया था, उनके मामलों में पारित एक अलग आदेश द्वारा, उन आवेदनों को अनुमति दी गई है और उनकी अपीलें सी. ए. संख्या 7218,7222,7236,7215,7221,7217 और 2018 की 7223 को बहाल कर दिया गया है। यहाँ तक कि राजस्व ने भी आम लोगों के खिलाफ कुछ एसएलपी दायर किए हैं।

इन एसएलपी के रूप में उच्च न्यायालय का निर्णय पहले दायर नहीं किया गया था जब इस न्यायालय द्वारा 20 अगस्त, 2018 को अपीलों के समूह का निर्णय लिया गया था। इन एसएलपी से उत्पन्न अपीलों की सुनवाई अन्य अपीलों के साथ भी की गई है जिनमें पहले दिए गए फैसले को वापस ले लिया गया है। इन सभी अपीलों पर नए सिरे से सुनवाई की गई है और वर्तमान निर्णय द्वारा इनका निपटारा किया जा रहा है।

6. हम पहले ही निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले कानून के प्रश्न पर ध्यान दे चुके हैं। तथ्यात्मक पृष्ठभूमि जिसमें कानून का यह सवाल है

20 अगस्त, 2018 के निर्णय में विचार के लिए उत्पन्न होने वाली बातों पर ध्यान दिया गया है, जिसे इस मुद्दे की बारीकियों को समझने के लिए फिर से दोहराया जा सकता हैः कानून के उपरोक्त प्रश्न को स्पष्ट रूप से समझने के लिए, इस स्तर पर ही यह उल्लेख किया जा सकता है कि धारा 80-आईसी की उप-धारा (2) एक ऐसे उपक्रम या उद्यम पर लागू होती है जिसने अन्य बातों के साथ-साथ, हिमाचल राज्य सहित उसमें निर्दिष्ट क्षेत्र में एक नया कारखाना स्थापित करके किसी वस्तु या वस्तु का निर्माण या उत्पादन शुरू किया है या शुरू किया है।

प्रदेश भी। धारा 80-आईसी की उप-धारा (3) दो भागों में हैः कुछ मामलों में, प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से शुरू होने वाले 10 निर्धारण वर्षों के लिए उपरोक्त उपक्रम या उद्यम से अर्जित ऐसे लाभ और लाभ की 100% की दर से आय से छूट प्रदान की जाती है। वर्तमान अपीलें उस श्रेणी में नहीं आती हैं। अन्य खंड से संबंधित है - उपक्रमों या उद्यमों की एक अन्य श्रेणी (ये मामले [2019] 4 एस. सी. आर. से संबंधित हैं।

वह श्रेणी) जहां छूट 2018 की सिविल अपील संख्या 7208 और अन्य की दर पर है। प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से शुरू होने वाले पांच निर्धारण वर्षों के लिए लाभ और लाभ और उसके बाद लाभ और लाभ का 25 प्रतिशत। इस प्रकार, कुल छूट 10 वर्षों की अवधि के लिए है, अर्थात् पहले पांच वर्षों के लिए @100% और शेष पांच वर्षों के लिए @25 प्रतिशत। इन मामलों में, सभी कर निर्धारकों ने लाभ और लाभ पर छूट का दावा करना शुरू कर दिया और पांच साल की अवधि के लिए इसका लाभ उठाया। इस अवधि के दौरान इन कर निर्धारकों ने "पर्याप्त विस्तार" किया और उन्होंने दावा किया कि, उस आधार पर, उन्हें छठे से दसवें वर्ष तक 25 प्रतिशत के बजाय अगले पांच वर्षों के लिए लाभ और लाभ से छूट दी जानी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि वे स्वीकार करते हैं कि कुल अवधि जिसके दौरान वे छूट के हकदार हैं, उप-धारा (6) के अधिदेश के अनुसार 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस पृष्ठभूमि में, सवाल यह है कि क्या निर्धारिती फिर से 100% छूट का दावा करना शुरू कर सकते हैं।

पहले पाँच वर्षों के लिए लाभ और लाभ का लाभ उठाने के बाद अगले पाँच वर्षों के लिए इस आधार पर कि उन्होंने अब पर्याप्त कार्य किया है। विस्तार। उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया है और इस कारण से, यह विभाग ही है जो इन अपीलों को दायर करके उक्त निर्णय को चुनौती देने के लिए इस न्यायालय में आया है।

धारा 80-आई. ए. को वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1991 द्वारा 1 अप्रैल, 1991 से प्रभावी किया गया था। उक्त धारा के आधार पर, किसी औद्योगिक उपक्रम के किसी भी व्यवसाय से प्राप्त किसी निर्धारिती की सकल कुल आय (लाभ और लाभ), जिसमें इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया है, 1 अप्रैल, 1993 से शुरू होने वाली अवधि के लिए कुछ कटौती का हकदार था। 1 अप्रैल, 2000 से, उक्त प्रावधान को शामिल करने के साथ विभाजित कर दिया गया था।

एक अन्य धारा, अर्थात 80-आई. बी., "अवसंरचना विकास उपक्रमों के अलावा कुछ अन्य औद्योगिक उपक्रमों" से संबंधित है। इसके बाद,

विधायक ने अपने विवेक से कुछ विशेष श्रेणी वाले राज्यों में स्थापित "इकाइयों" के संबंध में एक विशेष प्रावधान लागू किया। इस प्रकार, 1 अप्रैल, 2004 से लागू वित्त अधिनियम, 2003 के आधार पर धारा 80-आईसी को जोड़ा गया। इस बिंदु पर। , यह केवल ध्यान दिया जा सकता है कि

तदनुसार धारा 80-आई. बी. के कुछ प्रावधानों में भी संशोधन किया गया।

निरस्त कर दिया। उक्त धारा के तहत कटौती 1 अप्रैल, 2004 (धारा 80-आईबी की उप-धारा (4)) से शुरू होने वाले मूल्यांकन वर्षों के लिए बंद कर दी गई थी।

7. इस समय हम अधिनियम की धारा 80-आईसी के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना चाहेंगे। इसलिए, हम इस प्रावधान के प्रासंगिक हिस्से को नीचे निकालते हैं:

पीआर। आय कर आयुक्त, शिमला बनाम। एम/एस। आरहम सॉफ्ट्रोनिक्स [ए. के. सिकरी, जे.]

" [80 - आईसी। कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों में कुछ उपक्रमों या उद्यमों के संबंध में विशेष प्रावधान। (1) जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम या उद्यम द्वारा किसी व्यवसाय से प्राप्त कोई लाभ और लाभ शामिल हैं, वहां इस धारा के प्रावधानों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, निर्धारिती की कुल आय की गणना करने में, उप-धारा (3) में निर्दिष्ट ऐसे लाभों और लाभों से कटौती की अनुमति दी जाएगी। (2) यह धारा किसी भी उपक्रम या उद्यम पर लागू होती है,

(क) जिसने तेरहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट कोई वस्तु या वस्तु नहीं है, किसी भी वस्तु या वस्तु का निर्माण या उत्पादन शुरू कर दिया है या शुरू कर दिया है, या जो किसी भी वस्तु या वस्तु का निर्माण या उत्पादन करता है।

वस्तु या वस्तु, जो तेरहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट कोई वस्तु या वस्तु नहीं है और प्रारंभिक अवधि के दौरान पर्याप्त विस्तार करती है।

(i) 23 दिसंबर, 2002 को और 2 [1 अप्रैल, 2007] से पहले समाप्त होने पर, किसी भी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र या एकीकृत अवसंरचना विकास केंद्र या औद्योगिक क्षेत्र में

विकास केंद्र या औद्योगिक संपदा या औद्योगिक उद्यान या

सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या औद्योगिक क्षेत्र या थीम पार्क, जैसा कि बोर्ड द्वारा इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित योजना के अनुसार अधिसूचित किया गया है,

सिक्किम राज्य; या

((ii) हिमाचल राज्य में 7 जनवरी, 2003 को और 1 अप्रैल, 2012 से पहले समाप्त होने वाले किसी भी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र या एकीकृत अवसंरचना विकास केंद्र या औद्योगिक विकास केंद्र या औद्योगिक संपदा या औद्योगिक उद्यान या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी उद्यान या औद्योगिक क्षेत्र या थीम पार्क में, जैसा कि बोर्ड द्वारा इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित योजना के अनुसार अधिसूचित किया गया है। प्रदेश या उत्तरांचल राज्य; या

विकास केंद्र या औद्योगिक संपदा या औद्योगिक उद्यान या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या औद्योगिक क्षेत्र या थीम पार्क, जैसा कि बोर्ड द्वारा [2019] 4 एस. सी. आर. बनाई गई योजना के अनुसार अधिसूचित किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित, किसी भी मामले में

उत्तर-पूर्वी राज्यों का;

((ख) जिसने चौदहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी वस्तु या वस्तु का निर्माण या उत्पादन शुरू कर दिया है या शुरू कर दिया है; या

उस अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी ऑपरेशन को शुरू करता है, या जो

चौदहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी वस्तु या वस्तु का निर्माण या उत्पादन करता है या उस अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी कार्य को शुरू करता है और इस अवधि के दौरान पर्याप्त विस्तार करता है। अवधि की शुरुआत

((ii) हिमाचल प्रदेश राज्य या उत्तरांचल राज्य में 7 जनवरी, 2003 को और 1 अप्रैल, 2012 से पहले समाप्त होता है; या (iii) 24 दिसंबर, 1997 को और किसी भी पूर्वोत्तर राज्य में 1 अप्रैल, 2007 से पहले समाप्त होता है।

(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कटौती होगी -

XXX

XXX

XXX

((ii) उप-धारा (2) के खंड (क) के उपखंड (ii) या खंड (ख) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम या उद्यम के मामले में, ऐसे लाभों और लाभों का सौ प्रतिशत -

प्रारंभिक मूल्यांकन के साथ शुरू होने वाले पाँच मूल्यांकन वर्ष वर्ष और उसके बाद, पच्चीस प्रतिशत। (या तीस प्रतिशत. जहां निर्धारिती एक कंपनी है) लाभ और लाभ का।

XXX

XXX

XXX

इस धारा के तहत, या धारा 80-आईबी की उप धारा (4) के दूसरे परंतुक के तहत या धारा 10सी के तहत, जैसा भी मामला हो, कटौती दस निर्धारण वर्षों से अधिक है। (8) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

XXX

XXX

XXX पीआर। आय कर आयुक्त, शिमला बनाम। एम/एस। आरहम सॉफ्ट्रोनिक्स [ए. के. सिकरी, जे.]

(v) "प्रारंभिक निर्धारण वर्ष" से पिछले वर्ष के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है जिसमें उपक्रम या उद्यम वस्तुओं या चीजों का निर्माण या उत्पादन शुरू करता है, या शुरू करता है।

संचालन या पर्याप्त विस्तार पूरा करता है;

XXX

XXX

XXX

(ix) "पर्याप्त विस्तार" का अर्थ है संयंत्र और मशीनरी में निवेश में संयंत्र और मशीनरी के बही मूल्य (किसी भी वर्ष में मूल्यह्रास लेने से पहले) में कम से कम पचास प्रतिशत की वृद्धि, जैसा कि पिछले वर्ष के पहले दिन हुआ था।

व्यापक विस्तार किया जा रहा है।

8. यह धारा कुछ विशेष श्रेणी वाले राज्यों में कुछ उपक्रमों या उद्यमों के संबंध में विशेष प्रावधान करती है। धारा 80-आई. सी. को वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था।

7208 2018 और ओआरएस। 1 अप्रैल, 2004 का 17 का पृष्ठ 12। इस प्रावधान के अनुसार,

कुछ विशेष श्रेणी राज्यों में कुछ उपक्रमों या उद्यमों को ऐसे लाभों और लाभों से कटौती की अनुमति है, जैसा कि धारा 80-आईसी की उप धारा (3) में निर्दिष्ट किया गया है। धारा 80-आईसी के प्रावधानों ने सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल और पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित विनिर्माण इकाइयों को कटौती प्रदान की। उपरोक्त राज्यों में स्थापित नई इकाइयों को कटौती प्रदान की गई थी, और उन राज्यों में मौजूदा इकाइयों को भी यदि पर्याप्त विस्तार किया गया था। पूर्वोत्तर और सिक्किम राज्य में स्थित इकाइयों के लिए दस मूल्यांकन वर्षों के लिए और हिमाचल प्रदेश में स्थित इकाइयों के लिए यह कटौती पांच वर्षों के लिए और अगले पांच वर्षों के लिए 25 प्रतिशत की दर से उपलब्ध थी। 9. इन सभी मामलों में निर्धारिती ने नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर धारा 80-आईसी के तहत छूट का लाभ उठाना शुरू कर दिया था। इन सभी करदाताओं ने 5 साल की अवधि के लिए 100% कटौती का लाभ उठाया है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, छठे वर्ष से, सामान्य रूप से, अगले पांच वर्षों (या 30 प्रतिशत जहां निर्धारिती एक कंपनी है) के लिए लाभ और लाभ के 25 प्रतिशत की दर से कटौती स्वीकार्य है। हालांकि, इन सभी निर्धारिती ने पांच साल की समाप्ति के बाद अपनी मौजूदा इकाइयों का पर्याप्त विस्तार किया। यह पर्याप्त विस्तार धारा 80-आईसी के प्रावधानों के अनुसार है और इसके बारे में कोई विवाद नहीं है। जिस वर्ष से निर्धारिती द्वारा इस तरह के महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण किए गए थे, निर्धारिती ने 10 वर्षों की शेष अवधि के लिए 25 प्रतिशत/30 प्रतिशत के बजाय 100% कटौती की मांग की, जो कि अधिकतम अवधि है जिसके लिए कटौती स्वीकार्य है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. उप-धारा (3), जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष से शुरू होने वाले 10 वर्षों की अवधि का उल्लेख करती है। उप-धारा (6) बताती है

10 वर्ष की सीमा, जो अधिकतम अवधि है जिसके लिए कटौती की जाती है।

प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष से शुरू होने वाली इस धारा के तहत किसी भी उपक्रम या उद्यम को अनुमति दी जा सकती है। उप-धारा (3) के तहत एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से शुरू होने वाले पांच मूल्यांकन वर्षों के लिए किसी उपक्रम या उद्यम से होने वाले ऐसे लाभों और लाभों की मान्य कटौती है और उसके बाद लाभ और लाभों की 25 प्रतिशत (या 30 प्रतिशत जहां निर्धारिती एक कंपनी है) पर कटौती स्वीकार्य है। यह निम्नलिखित पहलुओं को सामने लाता हैः

(क) धारा 80-आईसी की उप-धारा (2) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने वाले उपक्रम या उद्यम इस प्रावधान के तहत कटौती के हकदार हो जाते हैं।

(ख) यह कटौती प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष से स्वीकार्य है। 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' को धारा 80-आईबी (14) (सी) में परिभाषित किया गया है।

अधिनियम।

(ग) कटौती पहले 5 के लिए ऐसे लाभ और लाभ की 100% है।

मूल्यांकन वर्षों और उसके बाद कटौती की अनुमति है @

25 % (या 30 प्रतिशत जहां निर्धारिती एक कंपनी है)। (घ) कटौती की कुल अवधि 10 वर्ष है, जिसका अर्थ है प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष से पहले 5 वर्षों के लिए 100% कटौती और अगले 5 वर्षों के लिए 25 प्रतिशत (या 30 प्रतिशत जहां निर्धारिती एक कंपनी है)।

वर्षों से।

11. 20 अगस्त, 2018 के फैसले में यह अभिनिर्धारित करते हुए कि कटौती @100% की अनुमति 5 साल से अधिक के लिए नहीं दी जा सकती है।

' प्रारंभिक निर्धारण वर्ष में जो तर्क दिया गया था, वह निर्णय के पैराग्राफ 20 में निहित है। जो नीचे लिखे अनुसार हैः

" जब हम इस प्रावधान के पीछे की उपरोक्त योजना और भावना को ध्यान में रखते हैं, तो ऐसी स्थिति को 2018 की सिविल अपील संख्या 7208 और अन्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 17 में से पृष्ठ 14 पर निर्धारिती 10 वर्षों की पूरी अवधि के लिए @100% कटौती प्राप्त करने में सक्षम है। यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो यह प्रावधानों के साथ हिंसा करने के बराबर होगा।

धारा 80-आईसी की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (3)। धारा 80-आई. सी. की व्यावहारिक और उचित व्याख्या

यह अभिनिर्धारित करना कि एक बार प्रारंभिक निर्धारण वर्ष शुरू होने के बाद और एक निर्धारिती, उप-जनसम्पर्क में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर।

आय कर आयुक्त, शिमला बनाम। एम/एस। आरहम सॉफ्ट्रोनिक्स [ए. के. सिकरी, जे.]

धारा 80-आईसी की धारा (2), कटौती का आनंद लेना शुरू कर देती है, धारा के प्रयोजनों के लिए एक और "प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष" नहीं हो सकता है।

80 - आई. सी. 10 वर्षों की उपरोक्त अवधि के भीतर, इस आधार पर कि

अपनी इकाई में पर्याप्त विस्तार किया था।

12. जैसा कि उपरोक्त परिच्छेद से देखा जा सकता है, इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि एक बार 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' धारा 80-आईसी की उप-धारा (2) में निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर शुरू होता है, तो धारा 80-आईसी के प्रयोजनों के लिए एक और 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' नहीं हो सकता है।

10 वर्ष की उपरोक्त अवधि। ऐसा करते समय, न्यायालय ने उल्लेख किया कि अधिनियम की धारा 80-आईबी (14) (सी), जिसके आधार पर एक राय बनाई गई थी कि इसके लिए एक और 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' नहीं हो सकता है।

धारा 80-आई. सी. का उद्देश्य 10 वर्ष की उपरोक्त अवधि के भीतर। जैसा कि निर्णय के बाद के भाग में बताया गया है, यह स्पष्ट त्रुटि है जो की गई थी। धारा 80-आई. बी. (14) 'इस धारा के उद्देश्य के लिए' शब्दों से शुरू होती है। इस प्रकार, 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' को उसमें परिभाषित किया गया है।

केवल उन कटौती से संबंधित है जो धारा 80-आईबी के प्रावधानों के तहत प्रदान की जाती हैं, अर्थात् बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा कुछ औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और लाभ के संबंध में। उपक्रम। धारा 80-आई. बी. अधिनियम की धारा 80-आई. सी. से भौतिक रूप से अलग है। चूंकि धारा 80-आईसी इस संबंध में एक विशेष प्रावधान है।

इस धारा का उद्देश्य, अर्थात धारा 80-आईसी, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया था आयकर आयुक्त बनाम मेसर्स में निर्णय सुनाते समय। क्लासिक बाइंडिंग इंडस्ट्रीज मामला। हम इस [2019] 4 एस. सी. आर. में सार पाते हैं।

निर्धारिती को प्रस्तुत करना। उपरोक्त निर्णय में हुई इस गलती को स्वीकार करने में हमें कोई संकोच नहीं है। न्यायालय ने विशेष रूप से 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि 10 वर्षों की अवधि के भीतर दो प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष नहीं हो सकते हैं जो धारा 80-आईसी की उप-धारा (6) के अनुसार कटौती की अनुमति देने के लिए अधिकतम अवधि है। चूंकि यह मुद्दा सीधे प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष से संबंधित था, इसलिए उसी धारा में निहित इसकी परिभाषा छूट गई थी। उस हद तक, क्लासिक बाइंडिंग इंडस्ट्रीज मामले में 20 अगस्त, 2018 के फैसले में एक त्रुटि है।

14. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, ध्यान प्रश्न पर होना चाहिए।

कि 'प्रारंभिक निर्धारण वर्ष' की परिभाषा खंड में निहित है या नहीं।

(धारा 80-आई. सी. की उप-धारा (8) से क्या कोई अंतर पड़ता है? हम उक्त परिभाषा को एक बार फिर से पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे, इसके लिए

उद्देश्य

विचार प्रक्रिया की निरंतरता।

" एस. 80-आईसीः xXX XXX

XXX

(8) XXX XXX

XXX

(v)-प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष का अर्थ है प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष।

वस्तुओं या चीजों का निर्माण या उत्पादन शुरू करता है, या शुरू करता है संचालन या पर्याप्त विस्तार पूरा करता है "

15. इस परिभाषा के आधार पर, पहले निर्धारिती के लिए परामर्श

हमने तर्क दिया है कि एक से अधिक 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' हो सकते हैं जो उसमें प्रदान की गई आकस्मिकता से शुरू हो सकते हैं।

16. इस परिभाषा के अनुसार, 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' हो सकता है,

निम्नलिखित में से किसी भी आकस्मिकता में पिछले वर्ष के लिए प्रासंगिकः

(i) पिछला वर्ष जिसमें उपक्रम या उद्यम

वस्तु या चीज़ों का निर्माण या उत्पादन शुरू करता है; या

((ख) संचालन प्रारंभ करता है; या

(iii) पर्याप्त विस्तार को पूरा करता है।

पहली दो घटनाएं नई इकाइयों से संबंधित हैं जबकि तीसरी घटना

मौजूदा इकाइयों के संबंध में होगा। इस प्रकार सेसिटन 80-आई. सी. का लाभ केवल तभी स्वीकार्य नहीं है जब कोई उपक्रम या उद्यम नई इकाई स्थापित करता है और वस्तु या वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन शुरू करता है। द. इन प्रावधानों का लाभ उन मौजूदा इकाइयों को भी प्राप्त होता है, यदि वे आवश्यक पीआर का निवेश करके अपनी इकाइयों का "पर्याप्त विस्तार" करते हैं।

पूंजी, पिछले वर्ष के लिए प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष में। " धारा 80-आईसी की उप-धारा (8) के खंड (ix) में पर्याप्त विस्तार को परिभाषित किया गया है और यह निम्नानुसार हैः

संयंत्र और मशीनरी का मूल्य (किसी भी क्षेत्र में मूल्यह्रास लेने से पहले) वर्ष), जैसा कि पिछले वर्ष के पहले दिन था जिसमें

पर्याप्त विस्तार किया जाता है;

17. उपरोक्त परिभाषा के अनुसार, एक मौजूदा इकाई को पर्याप्त विस्तार करने के रूप में माना जाएगा जब इसमें वृद्धि होती है

संयंत्र और मशीनरी में संयंत्र और मशीनरी के बही मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत निवेश (किसी भी वर्ष में मूल्यह्रास लेने से पहले)। जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, इन सभी मामलों में, मूल्यांकनकर्ताओं ने शुरू में हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रकृति के नए उद्योग स्थापित किए थे।

अधिनियम की धारा 80-आईसी के तहत निर्दिष्ट। परिणामस्वरूप, वे उक्त प्रावधान में दी गई रियायत का लाभ उठाने के हकदार हो गए। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि पाँच साल के बाद और 10 साल की समाप्ति से पहले,

निर्धारिती ने उपरोक्त परिभाषा के संदर्भ में अपनी इकाइयों का पर्याप्त विस्तार किया था। जब हम 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' की परिभाषा पर विचार करते हैं, तो इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, हम निर्धारिती के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों में सार पाते हैं और यह स्वीकार करने के लिए इच्छुक होते हैं कि उक्त परिभाषा में उल्लिखित शर्त की पूर्ति पर एक और 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' हो सकता है, अर्थात्, मौजूदा इकाई के पर्याप्त विस्तार का पूरा होना। 18. न्यायालय से विभिन्न प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़कर धारा 80-आईसी के प्रावधानों को प्रभावी बनाने की अपेक्षा की जाती है। इस उद्देश्य के लिए

प्रासंगिक प्रावधान उप-धारा (2) (ए) (ii), उप-धारा 3 (ii), उप-धारा (6) और उप-धारा (8) (v) और (ix) हैं। उप-धारा (2) के खंड (ii) में यह प्रावधान है कि यदि कोई उपक्रम या उद्यम एक इकाई स्थापित करता है -

हिमाचल प्रदेश राज्य या उत्तरांचल राज्य में 7 जनवरी, 2003 और 1 अप्रैल, 2015 के बीच उसमें विनिर्दिष्ट प्रकृति, ऐसा उपक्रम या उद्यम उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट ऐसे लाभों और लाभों से कटौती के लिए पात्र हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में (जिसके संबंध में ये मामले संबंधित हैं) उप-धारा (3) कटौती की सीमा की गणना करती है। यह प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष से शुरू होने वाले पहले पांच प्रारंभिक मूल्यांकन वर्षों के लिए लाभ और लाभ का 100% है और उसके बाद लाभ और लाभ का 25 प्रतिशत (या 30 प्रतिशत जहां निर्धारिती एक कंपनी है) है। कटौती @25 प्रतिशत [2019] 4 एस. सी. आर.

इस धारणा पर कि नई इकाई जहां तक उसके विस्तार का संबंध है, पांच वर्षों के लिए स्थिर रहती है। हालांकि, जिस क्षण पर्याप्त विस्तार होता है, एक और 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' शुरू हो जाता है। यह नया आयोजन उस इकाई को लाभ और लाभ की 100% कटौती प्राप्त करने का अधिकार देता है। साथ ही, 10 साल की नई अवधि शुरू नहीं होती है। यह इस कारण से है कि कुल अवधि जिसके लिए कटौती की अनुमति दी जा सकती है, की सीमा 10 वर्ष है, क्योंकि उप-धारा (6) में कोई अनिश्चित शर्त नहीं है कि कटौती की अनुमति 10 निर्धारण वर्षों से अधिक की अवधि के लिए नहीं दी जाएगी। वास्तव में, 10 वर्षों की यह अवधि न केवल धारा 80-आईसी के तहत कटौती के संबंध में है, बल्कि

धारा 80-आईबी की उप-धारा (4) के दूसरे परंतुक के तहत भी। इसका मतलब यह होगा कि धारा 80-आईबी के साथ-साथ 80-आईसी के तहत कुल कटौती 10 साल की अवधि के लिए है। 19. उपर्युक्त तरीके से योजना की जांच करने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि धारा 80-आईसी की उप-धारा (8) के खंड (वी) में निहित 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' की परिभाषा से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां एक से अधिक 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' हो सकते हैं।

10 वर्ष की उक्त अवधि के भीतर। उप-धारा (6) के अनुसार, सीमा 10 मूल्यांकन वर्षों पर है। यह क्वांटम पर नहीं है। हमें उस उद्देश्य को भी ध्यान में रखना होगा जिसके लिए धारा 80-आईसी अधिनियमित की गई थी। इसका उद्देश्य निर्दिष्ट राज्यों में उक्त प्रावधान में निर्दिष्ट प्रकृति के व्यवसाय को स्थापित करना था। इस प्रकार, इस प्रावधान का उद्देश्य उपक्रमों या उद्यमों को उपरोक्त राज्यों में ऐसी इकाइयों की स्थापना और उन्हें औद्योगिक रूप से उन्नत राज्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। निस्संदेह, ये कठिन राज्य हैं क्योंकि इनमें से अधिकांश राज्य इन राज्यों में आते हैं। पहाड़ी क्षेत्र। इसलिए, उत्पादन और परिवहन की लागत भी हो सकती है।

ऊपर जाओ।

20. जब हम इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हैं जिनके लिए धारा 80 आई. सी. लागू की गई थी, तो एक अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह होगा कि 100% प्रदान किया जाए।

लाभ और लाभ की कटौती उस वर्ष से भी जब मौजूदा इकाई में पर्याप्त विस्तार होता है। आखिरकार, इस महत्वपूर्ण विस्तार में बहुत अधिक निवेश शामिल है जो कम से कम होना चाहिए।

50 % संयंत्र और मशीनरी में, किसी भी वर्ष में मूल्यह्रास लेने से पहले उसके बही मूल्य का। इस तरह के विस्तार से न केवल उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि अधिक रोजगार का सृजन भी होगा, जिससे स्थानीय जनता को लाभ होगा। यही कारण है कि अपने आप में पर्याप्त विस्तार करने को 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' माना जाता है। इसका मतलब यह होगा कि तब भी जब एक पुरानी इकाई पर्याप्त पीआर पूरी करती है।

ऐसी इकाई भी धारा 80-आईसी का लाभ उठाने की हकदार हो जाती है। यदि विधायिका का उद्देश्य यही है तो हमें इसका कोई कारण नजर नहीं आता।

उन इकाइयों को भी लाभ और लाभ की कटौती की अनुमति क्यों नहीं दी जाए जिन्होंने एक नई इकाई की स्थापना पर इस कटौती का लाभ उठाया था और अब उन इकाइयों के पर्याप्त विस्तार के साथ बड़ी राशि का निवेश किया है। हम निम्नलिखित चर्चाओं को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे

सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम दिलीप कुमार एंड कंपनी और अन्य मामले में संविधान पीठ का फैसला 1:

" 20. यह अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है कि एक क़ानून का अर्थ विधायिका के इरादे के अनुसार किया जाना चाहिए और अदालतों को इस पर कार्य करना चाहिए। कानून को लागू करते समय और कानून की व्याख्या करते समय कानून का सही इरादा। यदि कोई वैधानिक प्रावधान एक से अधिक के लिए खुला है

अर्थात्, न्यायालय को वह व्याख्या चुननी होगी जो

विधायिका के इरादे का प्रतिनिधित्व करता है। इस संबंध में,

जिला खनन में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के बाद

अधिकारी वी. टिस्को [जिला खनन अधिकारी बनाम। टिस्को, (2001) 7 एस. सी. सी. 358], पर ध्यान दिया जा सकता हैः (एससीसी पीपी। 382-83 , पैरा 18)

" 18. ... .एक क़ानून विधायिका का एक आदेश है और एक क़ानून का अर्थ लगाने में, इसके निर्माता के इरादे की तलाश करना आवश्यक है। ए.

कानून का अर्थ उनके इरादे के अनुसार लगाया जाना चाहिए जो इसे बनाते हैं और अदालत का कर्तव्य विधायिका के सच्चे इरादे पर कार्य करना है। यदि कोई वैधानिक प्रावधान एक से अधिक व्याख्याओं के लिए खुला है तो अदालत को उस व्याख्या को चुनना होगा जो विधायिका के सच्चे इरादे का प्रतिनिधित्व करती है। यह कार्य अक्सर विभिन्न कारणों से कठिनाइयों को जन्म देता है, चूंकि उपयोग किए गए शब्द कोई सटीक या निश्चित अर्थ वाले वैज्ञानिक प्रतीक नहीं हो सकते हैं और भाषा किसी के विचार को व्यक्त करने के लिए एक अपूर्ण माध्यम हो सकती है या विभिन्न प्रकार के विचारों वाले व्यक्तियों से युक्त विधानसभाओं की सभा एक अर्थ को व्यक्त करने का तात्पर्य रखती है जो अस्पष्ट हो सकता है। सबसे कल्पनाशील विधायिका के लिए भी यह असंभव है कि वह एक क़ानून को लागू करने के बाद उत्पन्न होने वाली संपूर्ण स्थितियों और परिस्थितियों को रोक सके, जहां इसके आवेदन की आवश्यकता हो सकती है। फिर भी, न्यायालयों का कार्य केवल विस्तार करना है न कि कानून बनाना। एक आधुनिक राज्य में कुछ सार्वजनिक बुराई पर अंकुश लगाने के लिए या कुछ नीतियों के साथ कानून बनाया जाता है।

कुछ सार्वजनिक लाभ को प्रभावित करना। कानून मुख्य रूप से है

1 (2018) 9 एससीसी 1 [2019] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के आधार पर विधायिका के समक्ष समस्याओं को निर्देशित किया गया

अतीत और वर्तमान के अनुभव से प्राप्त जानकारी। यह हो सकता है

समान रूप से कवर करने के लिए सामान्य शब्दों के उपयोग से भी डिज़ाइन किया जाए

भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याएं। लेकिन, चीजों की प्रकृति से, भविष्य में उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्थितियों का पूरी तरह से अनुमान लगाना असंभव है जिसमें हाथ में कानून को लागू करने की आवश्यकता हो सकती है, और ऐसे अनिश्चित संदर्भों को संप्रेषित करने के लिए चुने गए शब्द कई मामलों में स्पष्टता और सटीकता की कमी के लिए बाध्य हैं और इस प्रकार विवादास्पद प्रश्नों को जन्म देते हैं।

निर्माण। निर्माण की प्रक्रिया दोनों शाब्दिक को जोड़ती है।

और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण। दूसरे शब्दों में, विधायी

शरारत और उसके उपचार को समझता है जिसके लिए अधिनियम निर्देशित किया जाता है "।

" 28. पंजाब भूमि विकास मामले में इस अदालत का फैसला

और रिक्लेमेशन कार्पोरेशन। लिमिटेड वी. श्रम न्यायालय [पंजाब भूमि विकास और सुधार निगम। Ltd.v। श्रम न्यायालय, (1990) 3 एस. सी. सी. 682: 1991 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 71] ने उक्त भेद किया और शाब्दिक नियम की व्याख्या कीः (एस. सी. सी पी. 715, पैरा 67)

" 67. निर्माण के शाब्दिक नियमों के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है

अधिनियम का अर्थ इसके शाब्दिक और व्याकरणिक के अनुसार किया जाना है

अर्थात्, परिणाम जो भी हो। जब तक कि अन्यथा नहीं

बशर्ते, एक ही शब्द का सामान्य रूप से पूरे अधिनियम में एक ही अर्थ में अर्थ लगाया जाना चाहिए, और पुराने कानूनों के मामले में इसके समकालीन अर्थ को ध्यान में रखा जाना चाहिए यदि कोई नहीं है

समय के साथ बदलते जाएँ "।

उस सख्त व्याख्या में सख्त शाब्दिकता शामिल नहीं है। यह ध्यान रखना प्रासंगिक हो सकता है कि केवल "सख्त व्याख्या" को "शाब्दिक नियम" के साथ जोड़ने के परिणामस्वरूप एक महत्वपूर्ण पहलू जो "स्पष्ट विधायी इरादा" है। हम जीवित हैं।

तथ्य यह है कि कुछ मामलों में उपरोक्त दो नियमों के बीच अतिव्यापी हो सकता है। निश्चित रूप से, हम देख सकते हैं कि "सख्त व्याख्या" में ऐसी शाब्दिकता शामिल नहीं है, जो

बेतुका और विधायी इरादे के खिलाफ जाएं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यदि शाब्दिकता वर्णक्रम के सुदूर छोर पर है, जिसमें यह स्वीकार नहीं करता है

निहितार्थ या निष्कर्ष, तो "सख्त व्याख्या" पीआर हो सकती है।

आय कर आयुक्त, शिमला बनाम। एम/एस। आरहम सॉफ्ट्रोनिक्स [ए. के. सिकरी, जे.]

आवश्यक निष्कर्षों के किसी रूप को स्वीकार करने के लिए निहित है जो शाब्दिक है नियम स्वीकार नहीं कर सकता है।

29. हम यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि शाब्दिक नियम सख्त व्याख्या का तिरस्कार करता है और न ही किसी को "सख्त व्याख्या" और "शाब्दिक व्याख्या" के बीच परस्पर क्रिया का पता लगाने के लिए नजरअंदाज करना चाहिए। हम दोहराने की कीमत पर दोहरा सकते हैं कि एक की सख्त व्याख्या

कानून में निश्चित रूप से शाब्दिक या सादा अर्थ परीक्षण शामिल है। व्याख्या के अन्य साधन, अर्थात्, प्रासंगिक या उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को लागू नहीं किया जा सकता है और न ही अन्य सहायक सामग्री, विशेष रूप से कराधान कानूनों में देखने के लिए कोई सहारा लिया जा सकता है। वास्तव में, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक कराधान कानून में, किसी भी इरादे के लिए कोई जगह नहीं है; उस संबंध में शब्दों के स्पष्ट अर्थ के लिए किया जाना चाहिए और यह कि मामला पूरी तरह से भाषा द्वारा शासित होना चाहिए

अधिसूचना। कर कानून की व्याख्या में समानता का कोई स्थान नहीं है। कड़ाई से उपयोग की गई भाषा को देखना होगा; न तो इरादे की खोज के लिए कोई जगह है और न ही कोई अनुमान लगाने के लिए। इसके अलावा, एक कराधान क़ानून पर विचार करते समय आवश्यक निष्कर्षों के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा जाना चाहिए और न ही कुछ निहित किया जाना चाहिए।

30. न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह ने अपने ग्रंथ प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैच्युटरी में

व्याख्या (14 वीं संस्करण। 2016 पी। 879) मिकलेथवेट का उल्लेख करने के बाद, इन रे [मिकलेथवेट, इन रे, (1855) एलआर 11 एक्स 452 156 ईआर 908]; पार्टिंगटन बनाम। वकील

जनरल [पार्टिंगटन बनाम। महान्यायवादी, (1869) एल. आर. 4 एच. एल. 100], राजस्थान राज्य सहकारी एस. पी. जी. & जिनिंग मिल्स फेडरेशन

लिमिटेड वी. सीआईटी [राजस्थान राज्य सहकारी एसपीजी। & जिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड बनाम सी. आई. टी., (2014) 11 एस. सी. सी. 672], स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर बनाम। सी. आई. टी. [स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर बनाम। सी. आई. टी. (1986) 2 एस. सी. सी. 11: 1986 एस. सी. सी. (कर) 289] और केप ब्रांडी

सिंडिकेट वी. आई. आर. सी. [केप ब्रांडी सिंडिकेट बनाम। आई. आर. सी., (1921) 1 के. बी. 64] ने निम्नलिखित तरीके से कानून का सारांश दिया:

" एक कराधान कानून का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए। लॉर्ड वेन्सलीडेल के परिचित शब्दों में अच्छी तरह से स्थापित शासन, द्वारा पुष्टि की गई

लॉर्ड हैल्सबरी [एड। : टेनेंट वी. स्मिथ, 1892 ए. सी. 150 पी. 154] और लॉर्ड साइमंड्स [एड। : सेंट ऑबिन वी. महान्यायवादी, 1952 ए. सी. 15 पी. 32 (एच. एल.)], का अर्थः

" " इस उद्देश्य के लिए स्पष्ट शब्दों के बिना विषय पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए और यह भी कि संसद के प्रत्येक अधिनियम को पढ़ा जाना चाहिए।

इसके शब्दों के प्राकृतिक निर्माण के अनुसार "।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक उत्कृष्ट परिच्छेद में लॉर्ड केर्न्स ने इस सिद्धांत को इस प्रकार बतायाः

' यदि कर लगाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कानून के दायरे में आता है तो उस पर कर लगाया जाना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो।

न्यायिक दिमाग होने के लिए। दूसरी ओर, यदि क्राउन कर की वसूली करना चाहता है, तो विषय को कानून के पत्र के भीतर नहीं ला सकता है, तो विषय स्वतंत्र है, हालांकि स्पष्ट रूप से कानून की भावना के भीतर मामला अन्यथा प्रतीत हो सकता है। में।

दूसरे शब्दों में, यदि किसी भी कानून में स्वीकार्य है, जिसे एक न्यायसंगत निर्माण कहा जाता है, तो निश्चित रूप से, ऐसा निर्माण एक कर कानून में स्वीकार्य नहीं है जहां आप बस इसका पालन कर सकते हैं।

कानून के शब्द '।

विस्काउंट साइमन ने उद्धृत किया [एड। : कैनेडियन ईगल ऑयल कंपनी।

लिमिटेड वी. सेलेक्शन ट्रस्ट लिमिटेड, 1946 ए. सी. 119 पी. 140 (एच. एल.)] अनुमोदन के साथ एक मार्ग [केप ब्रांडी सिंडिकेट बनाम। आई. आर. सी., (1921) 1 के. बी. 64] रॉलेट, जे. से निम्नलिखित सिद्धांत को व्यक्त करते हुए

शब्दः (केप ब्रांडी मामला [केप ब्रांडी सिंडिकेट बनाम। आई. आर. सी.

(1921) 1 KB 64], KB p. 71)

' ..... एक कराधान अधिनियम में केवल उस पर ध्यान देना होता है जो स्पष्ट रूप से कहा गया है। किसी भी इरादे के लिए कोई जगह नहीं है। कर के बारे में कोई इक्विटी नहीं है। कर के बारे में कोई अनुमान नहीं है। कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है, कुछ भी निहित नहीं है। केवल निष्पक्ष रूप से देखा जा सकता है

उपयोग की गई भाषा "। "

21. उच्च न्यायालय ने इन प्रावधानों की व्याख्या निम्नलिखित रूप में की हैः

एरः

" 80 - आई. सी. (3) (ii) [हिमाचल प्रदेश के लिए] निर्धारित करता है कि "प्रारंभिक मूल्यांकन" के साथ शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए कटौती @100% होगी।

वर्ष "और उसके बाद @25 प्रतिशत"। धारा 80-आईसी (8) (वी) के अनुसार प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष का अर्थ है, वह वर्ष जिसमें इकाई शुरू होती है /

विस्तार "[धारा 80-आईसी (8) (ix) के अनुसार]। 46. जिस क्षण "पर्याप्त विस्तार" पूरा हो जाता है, उसके अनुसार

धारा 80-आईसी (8) (ix), "प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष" [धारा 80-आईसी (8) (v)] की वैधानिक परिभाषा लागू होती है। और परिणामस्वरूप, धारा 80-आई. सी. (3) (ii) इकाई को पाँच के लिए 100% कटौती का अधिकार देती है। "पर्याप्त विस्तार" के पूरा होने के साथ शुरू होने वाले वर्ष,

धारा 80-आईसी (6) के अनुसार अधिकतम दस वर्ष के अधीन।

पीआर। आय कर आयुक्त, शिमला बनाम। एम/एस। आरहम सॉफ्ट्रोनिक्स [ए. के. सिकरी, जे.]

47. एक इकाई जिसने 7.1.2003 से पहले काम करना शुरू किया/अस्तित्व में था, वह धारा 80-IB (4) के तहत पहले पांच वर्षों के लिए 100% कटौती का हकदार था। यदि यह इकाई विंडो अवधि (7.1.2003 से 31.3.2012) के दौरान पर्याप्त विस्तार पूरा करती है, तो यह धारा 80-IC (3) (ii) के तहत अगले पांच वर्षों के लिए फिर से 100% कटौती के लिए पात्र होगी, जो धारा 80-IC (6) के तहत निर्धारित दस साल की सीमा के अधीन होगी। ”

हम उपरोक्त व्याख्या से सहमत होने के इच्छुक हैं।

22. यह इंगित करना उचित होगा कि क्लासिक बाइंडिंग इंडस्ट्रीज में फैसले के पैरा 20 में, इस न्यायालय ने कहा कि यदि कटौती @ 100 % 10 वर्षों की पूरी अवधि के लिए, यह धारा 80-आईसी की उप-धारा (6) की भाषा के साथ हिंसा करना होगा। हालाँकि, यह अवलोकन उसी प्रावधान में निहित 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' की परिभाषा पर ध्यान दिए बिना आया।

23. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मामले की जांच करने के बाद, महाबीर इंडस्ट्रीज बनाम के मामले में निर्णय। प्रधान आयुक्त

आयकर 2, वास्तव में, निर्धारिती की मदद करेगा। क्लासिक बाइंडिंग इंडस्ट्रीज में बताए गए अच्छे अंतर इस तरह दूर हो जाते हैं। को। पुनर्कथन में, महाबीर इंडस्ट्रीज में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि किसी निर्धारिती को अधिनियम की धारा 80-आईबी के तहत पांच साल के लिए छूट मिलती है और उसके बाद पर्याप्त विस्तार किया जाता है, जिसके कारण उक्त निर्धारिती नए प्रावधान यानी अधिनियम की धारा 80-आईसी के तहत छूट का हकदार हो जाता है, तो निर्धारिती पांच साल के बाद भी 100% पर कटौती का हकदार होगा। यह निर्णय इस आधार पर दिया गया था कि दो प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष हो सकते हैं, एक इस उद्देश्य के लिए कि

अधिनियम की धारा 80-आई. सी. के प्रयोजनों के लिए धारा 80-आई. बी. और अन्य। एक बार जब हम पाते हैं कि दो प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष हो सकते हैं, भले ही धारा 80-आईसी में इसकी परिभाषा के अनुसार, कानूनी स्थिति महाबीर इंडस्ट्रीज में चर्चा की गई थी।

24. उपरोक्त चर्चा हमें निम्नलिखित निष्कर्षों पर ले जाती हैः (क) क्लासिक बाइंडिंग में 20 अगस्त, 2018 का निर्णय

'प्रारंभिक' परिभाषा पर ध्यान देने के लिए उद्योगों के मामले को हटा दिया गया

धारा 80-आई. सी. में निहित 'निर्धारण वर्ष' और इसके बजाय

इसका निष्कर्ष धारा 80-आईबी में निहित परिभाषा पर आधारित है, जो इन मामलों में लागू नहीं होती है। 'प्रारंभिक' की परिभाषाएँ

दो खंडों में 'निर्धारण वर्ष'। धारा 80-आईबी और 80

आईसी भौतिक रूप से अलग हैं। धारा 80-आईसी के तहत 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' की परिभाषा ने सभी बदलाव किए हैं। इसलिए,

सही कानून का पालन करें। (ख) एक उपक्रम या उद्यम जिसने हिमाचल प्रदेश राज्य में 7 जनवरी, 2003 और 1 अप्रैल, 2012 के बीच धारा 80-आईसी की उप-धारा (2) के खंड (ii) में उल्लिखित प्रकृति की एक नई इकाई स्थापित की थी, वह निम्नलिखित दर से कटौती का हकदार होगाः

100 % पाँच निर्धारण वर्षों के लिए लाभ और लाभ

'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' से शुरू करना। अगले पांच वर्षों के लिए, स्वीकार्य कटौती 25 प्रतिशत (या 30 प्रतिशत) होगी जहां

निर्धारिती लाभ और लाभ की एक कंपनी है)।

(ग) तथापि, यदि ऐसे उपक्रम या उद्यम द्वारा धारा 80-आईसी की उप-धारा (8) के खंड (ix) में परिभाषित पर्याप्त विस्तार किया जाता है, तो 10 वर्ष की उपरोक्त अवधि के भीतर,

उक्त पिछला वर्ष जिसमें पर्याप्त विस्तार किया गया है

शुरू किया गया 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' बन जाएगा, और उस मूल्यांकन वर्ष से निर्धारिती 100% का हकदार होगा।

लाभ और लाभ की कटौती।

वर्ष, जैसा कि उप-धारा (6) में उपबंधित है। उदाहरण के लिए, यदि विस्तार तुरंत किया जाता है, तो पहले पांच साल पूरे होने पर, निर्धारिती अगले पाँच वर्षों के लिए फिर से 100% कटौती का हकदार होगा। दूसरी ओर, यदि पर्याप्त विस्तार है

मान लीजिए, किसी निर्धारिती द्वारा 8 वें वर्ष में किया गया ऐसा निर्धारिती पहले पांच वर्षों के लिए 100% कटौती, अगले दो वर्षों के लिए लाभ और लाभ का 25 प्रतिशत की दर से कटौती और 8 वें वर्ष से फिर से 100% का हकदार होगा क्योंकि यह वर्ष एक बार फिर 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' बन जाता है। हालाँकि, यह 100% कटौती इसके लिए होगी।

शेष तीन वर्ष अर्थात 8 वीं, 9 वीं और 10 वीं मूल्यांकन वर्ष।

25. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हैं और राजस्व की इन सभी अपीलों को खारिज करते हैं। इसी तरह, निर्धारिती द्वारा दायर किए गए आवेदनों की अनुमति दी जाती है।

पांडे

अपीलों का

निपटारा किया गया।